No.**42/40/2025-5Trg.**
HARYANA GOVERNMENT
CHIEF SECRETARY OFFICE
TRAINING DEPARTMENT

Dated, Chandigarh the 1st April, 2026

To

All the Administrative Secretaries to Govt. Haryana.

Subject: **Third Hindi Basic Course in Legislative Drafting from 20.04.2026 to 19.05.2026-reg.**

******

Sir/Madam,

I am directed to refer to the subject noted above and to forward herewith a copy of e-mail dated 20.03.2026 alongwith enclosures received from Dr. Manoj Kumar, Additional Secretary, Government of India, Ministry of Law & Justice Legislative Department, 423, 4th Floor, Shastri Bhawan, Dr. R.P.Road, New Delhi-110001 for further necessary action. This letter has also been uploaded on the website of Chief Secretary Haryana i.e **(http://csharyana.gov.in).**

The necessary action may be taken in view of Government Instructions No. 22/38/2010-4Trg, dated 21.12.2022.

Yours faithfully,

Superintendent, Training

Endst. No. **42/40/2025-5Trg.** Dated Chandigarh, the 1st April, 2026

A copy of the above is forwarded to the Dr. Manoj Kumar, Additional Secretary, Government of India, Ministry of Law & Justice Legislative Department, 423, 4th Floor, Shastri Bhawan, Dr. R.P.Road, New Delhi-110001 w.r.t their e-mail dated 20.03.2026 for information.

— Sd —

Superintendent, Training

79076/202[illegible]/ILDR

डॉ. मनोज कुमार
अपर सचिव
Dr. Manoj Kumar
Additional Secretary

(पाठ्यक्रम निदेशक)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
LEGISLATIVE DEPARTMENT

दिनांक: 18 फरवरी, 2026

अ. शा. पत्र: एल.डी.-33022/3/2024- आई.एल.डी.आर.

महोदय/महोदया

विधायी कार्यों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने हेतु प्रशिक्षित विधायी अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के अधीन जनवरी, 1989 में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.) की स्थापना की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से, आई.एल.डी.आर. केंद्रीय सरकार के विभागों, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी निकायों के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण और अनुसंधान में सैद्धांतिक, नैदानिक व व्यावहारिक ज्ञान का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

2. आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान ने भारत सरकार की नीति के अंतर्गत हिंदी में मूल प्रारूपण का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक बुनियादी पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे हिंदी में विधायी प्रारूपण की क्षमता का निर्माण हो सके और सरल हिंदी में विधायी प्रारूपण को प्राथमिकता दी जा सके।

3. विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान 20 अप्रैल, 2026 से 19 मई, 2026 तक विधायी प्रारूपण में तृतीय बुनियादी पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस पाठ्यक्रम में विधायी प्रारूपण के सैद्धांतिक पहलुओं के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण का भी समावेश किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राज्य सरकार के उपक्रमों, कानूनी प्राधिकरणों, राज्य सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है, जिनकी सेवाओं का उपयोग विधियों, नियमों, विनियमों, उपविधियों के प्रारूपण, आदि में किया जा रहा है। तथापि, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधि विभागों के विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षित किए जाने वाले अधिकारियों के साथ-साथ कानूनी प्राधिकरणों में विधि कार्य से संबन्धित विषयों पर अनुभव रखने वाले अधिकारियों को नामनिर्दिष्ट किया जाना है। आपसे, हिंदी के इस बुनियादी पाठ्यक्रम के लिए कम से कम दो उपयुक्त अधिकारियों को नामनिर्दिष्ट किए जाने हेतु अनुरोध और अपेक्षा की जाती है।

423, चतुर्थ तल, शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली–110 001
423, 4th Floor, Shastri Bhawan, Dr. R.P. Road, New Delhi- 110001
Tel. : 011-23387095, E-mail : as-ld-molj@gov.in

File No. LD-33022/1/2026-ILDR (Computer No. 3030[illegible]) [illegible] pm
Generated from eOffice by DEEPAK, ASO(D), ASSISTANT SECTION OFFICER, LEGISLATIVE DEPARTMENT on [illegible]

4. प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, ऐसे अधिकारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्मचारिवृन्द संख्या पर बने रहेंगे और संबद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे। अतएव, इस प्रशिक्षण के दौरान कोई व्यय केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षणार्थी अधिकारी केवल अपनी छुट्टी के संबंध में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होंगे।

5. चूंकि, यह प्रशिक्षण एक मास तक चलेगा। अत: राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित सरकार/प्रशासन अपने राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के दिल्ली में स्थित अपने अतिथि गृहों में प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को ठहरने या विशेष भत्ते के माध्यम से उनके आवास के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने का कष्ट करें, ताकि प्रशिक्षण के दौरान उन अधिकारियों को कोई कठिनाई या असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त, यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रशिक्षु अधिकारियों को अध्ययन/प्रशिक्षण दौरे हेतु 25,000/-रु0 उपलब्ध कराने का भी कष्ट करें तथा प्रशिक्षण पूरा होने से पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों को वापस न बुलाया जाए।

6. कृपया आप अधिकारियों का नामनिर्देशन इससे सम्बद्ध प्रोफ़ार्मा में यथाशीघ्र भेज दें, जिससे वह दिनांक 18.03.2026 तक इस विभाग में पहुँच जाए ताकि इस विभाग द्वारा इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

सादर,

भवदीय,

मनोज कुमार

(डॉ. मनोज कुमार)

1. मुख्य सचिव, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश (मानक सूची के अनुसार)।
2. विधि सचिव/विधान सचिव, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश (मानक सूची के अनुसार)।

विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान

(ISO 9001: 2015 प्रमाणित संस्थान)

सत्यमेव जयते

विधायी प्रारूपण में तीसरा हिंदी में बुनियादी पाठ्यक्रम

(20 अप्रैल, 2026 से 19 मई, 2026 तक)

नामांकन प्रारूप

प्रायोजक विभाग का नाम (पूरे पते के साथ):-

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
1	अधिकारी का नाम	
2	लिंग	
3	जन्म की तारीख	
4	शैक्षणिक योग्यता	
6	वर्तमान पदनाम	
7	वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में स्तर)	
8	विधायी प्रारूपण में अनुभव, यदि कोई हो	
9	क्या अधिकारी के वर्तमान कर्तव्य में विधायी मसौदा तैयार करना शामिल है? यदि हाँ, तो कृपया वर्णन करें	
10	विधायी प्रारूपण में अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण यदि हाँ, तो कृपया वर्णन करें	
11	अधिकारी का संपर्क विवरण	मो. ईमेल:

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

दिनांक:

(नामांकन/प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ____________________ द्वारा उल्लिखित विवरण रिकॉर्ड के अनुसार सही है। इस प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारी विधायी विभाग द्वारा उनके डी.ओ. संख्या __________ द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र है।

(नामांकित/प्रायोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर)

नाम:

पदनाम:

दूरभाष/ईमेल:

नोट- विधिवत भरा हुआ नामांकन फॉर्म नामांकन प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा शाखा अधिकारी, आई.एल.डी.आर., कमरा सं. 2407, चौथा तल, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, कर्तव्य भवन-02, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है और ildr.ld@nic.in पर 31.03.2026 तक ईमेल किया जा सकता है।

डॉ. मनोज कुमार
अपर सचिव
Dr. Manoj Kumar
Additional Secretary

और पाठ्यक्रम निदेशक

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
LEGISLATIVE DEPARTMENT

दिनांक: 20 मार्च , 2026

अ॰ शा॰ पत्र: एल॰डी॰-33022/1/2026- आई॰एल॰डी॰आर॰

महोदय/महोदया,

विधायी प्रस्तावों से निपटने के लिए प्रशिक्षित विधायी परामर्शदाता की क्षमताओं और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के तत्वावधान में जनवरी, 1989 में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई॰एल॰डी॰आर॰) की स्थापना की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से, आई॰एल॰डी॰आर॰ केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों, सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी निकायों के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण और अनुसंधान में सैद्धांतिक, नैदानिक, व्यावहारिक ज्ञान के साथ-साथ ऑफसाइट प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है।

2. आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान ने भारत सरकार की नीति के अंतर्गत हिन्दी में मूल प्रारूपण का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तीसरा बुनियादी पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है, जिससे हिन्दी में विधायी प्रारूपण की क्षमता का निर्माण हो सके और हिन्दी में विधायी प्रारूपण को प्राथमिकता दी जा सके।

3. विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान 20 अप्रैल, 2026 से 19 मई, 2026 तक विधायी प्रारूपण में तीसरा बुनियादी पाठ्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। इस पाठ्यक्रम में विधायी प्रारूपण के सैद्धांतिक पहलुओं के अतिरिक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण का भी समावेश किया गया है।

4. उपरोक्त संदर्भ में मेरे द्वारा दिनाँक 18.02.2026 को अ. शा. पत्र: एल. डी. – 33022/3/2024- आई. एल. डी. आर. लिखा गया था (प्रतिलिपि संलग्न), जिसमें आपके कम से कम दो अधिकारियों का नामनिर्देशन संलग्न प्रोफॉर्मा में यथाशीघ्र (दिनांक 18.03.2026 तक) भेजने हेतु अनुरोध किया गया था।

5. उपरोक्त संदर्भ में आपके विभाग/ राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की ओर से कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त पाठ्यक्रम हेतु आपके अधिकारियों का नामनिर्देशन संलग्न प्रोफॉर्मा में दिनांक 31.03.2026 तक भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज कुमार

(डॉ॰ मनोज कुमार)

1. मुख्य सचिव, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश (मानक सूची के अनुसार)।
2. विधि सचिव/विधान सचिव, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश (मानक सूची के अनुसार)।

416–ए, चतुर्थ तल, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली–110 001
416-A, 4th Floor, Shastri Bhawan, Dr. R.P. Road, New Delhi-110 001
Tel. : +91-11-23073497, E-mail.: as-ld-molj@gov.in